न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री वीरमाराम ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 176 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हैंराजराम पुत्र पुरखाराम उम्र 70 वर्ष 2.शिवजीराम पुत्र पुरखाराम उम्र 66 वर्ष जातियान जाट निवासी गोसांई नगर, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. जालाराम पुत्र खेताराम उम्र 80 वर्ष 2. केसाराम पुत्र कुम्भाराम उम्र 45 वष 3. गंगाराम पुत्र कुम्भाराम उम्र 48 वर्ष 4. दुर्गाराम पुत्र कुम्भाराम (फौत के कायम मुकाम) 4/1– राऊराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 28 वर्ष 4 / 2– पनाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 25 वर्ष 4/3– विरधाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 22 वर्ष 5. बाबुराम पुत्र कुम्भाराम उम्र 40 वर्ष 6. धूड़ीदेवी पत्नि कुम्भाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी गोसांई नगर, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल एस. बी. आई. शाखा सिणधरी जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी जिला बाड़मेर 9. भूमि पति तहसीलदार सिणधरी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:06 IST
Reason: Self Attested

उपस्थिति

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री बींजाराम गोदारा,वकील विप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 02 से 08 एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक– 28.12.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 298/120 रकबा 5.5902 हैक्टयर ग्राम गोसांई नगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 498/298 रकबा 5.5902 हैक्ट, विप्रार्थी सं. 02 व 06 के खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 3.2845 हैक्टयर, भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 6 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 06 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम गोसाई नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 498/298 व 117 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बींजाराम गोदारा की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 09 की ओर से राज,पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 02 से 08 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 298/120 [illegible] गोसांई नगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के [illegible] संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 498/298 रकबा 5.5902 हैक्ट, [illegible] 06 के खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 3.2845 हैक्टयर, भूमि आये हुए है। प्रा[illegible]ण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 6 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 06 तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम गोसांई नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 498/298 व 117 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 01 से 06 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए आवागमन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार भूमि रास्ता के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने में अपनी सहमति प्रकट की गई।

5.विप्रार्थी संख्या 09 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.**हमनें** दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा गोसाई नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 298/120 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम गोसाई नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 498/298 व 117 में से नये रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2022 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट [illegible] 15[illegible].2022 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि [illegible] सिणधरी की खसरा संख्या 298/120 में पहुचनें के लिए खसरा [illegible] 498/298 व 117 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प [illegible]ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

117 क्षेत्रफल 3.2845 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 40 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर रकबा 0.0320 हैक्टयर, खसरा संख्या 498/298 क्षेत्रफल 5.5902 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0720 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–189025/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 117 क्षेत्रफल 3.2845 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 40 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर रकबा 0.0320 हैक्टयर, राशि–12100/–अक्षरे बारह हजार एक सौ रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 02 से 07 को व खसरा नम्बर 498/298 क्षेत्रफल 5.5902 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0720 हैक्टयर राशि–27250/–अक्षरे सताईश हजार दौ सौ पचास रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 1 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

7.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम गोसाई नगर तहसील सिणधरी में विप्रार्थी सं. 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 क्षेत्रफल 3.2845 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 40 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर रकबा 0.0320 हैक्टयर, खसरा संख्या 498/298 क्षेत्रफल 5.5902 हैक्टयर किस्म बा.दो.में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0720 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 06 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–39350/–अक्षरे उनाचालिस हजार तीन सौ पचास रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांक:भू.अ./वाद/2022/1593 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28/12/22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी